[Shri Shantaram Naik]

provisions dealing with offences relating to religion as mentioned in the Indian Penal Code.

The powers of the Union Government of reviewing the decision of Film Censor Board should now be restored back by way of an amendment to the Cinematography Act. However, an FIR can be lodged by the Central or the State Government under the said provisions of the Indian Penal Code and the producers/exhibitors can be refrained from exhibiting the film.

Besides, it must be remembered that section 295A is a cognisable offence and, therefore, it is the duty of the police machinery to take action and arrest the culprits.

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Shantaram Naik.

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Shantaram Naik.

Brutal killing of the General Manager in Maruti Suzuki Plant at Manesar in Gurgaon, Haryana

श्री संजीव कुमार (झारखंड) : महोदय, लोग रोजी-रोटी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उसी तरह से झारखंड के अवनीश कुमार देव मानेसर के मारुति सुजुकी फैक्ट्री में General Manager के पद पर काम कर रहे थे। 18 जुलाई, 2012 को वहीं काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा पहले तो उनका पैर तोड़ दिया गया और फिर जिस ऑफिस में वे थे, उसमें आग लगा दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अभी जहां एक तरफ सरकार यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी मारुति सुजुकी फैक्ट्री को खोला जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है।

महोदय, इस मामले में अभी जो investigation चल रही है, उससे उनके परिवार के लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, तो मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मानेसर फैक्ट्री में जो घटना घटी थी, उसके लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। साथ ही साथ, मैं आपके द्वारा यह आग्रह करना चाहता हूं कि मारुति सुजुकी कंपनी उनके आश्रितों के भविष्य का ख्याल रखे। महोदय, इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने भी लेबर लॉज़ हैं, Industrial Disputes Act, 1947 हो या और कोई लेबर लॉज़ हों, ये पुराने समय के हिसाब से बने हैं। अभी जो नये-नये हालात पैदा हो रहे हैं, उनको डील करने में ये लेबर लॉज़ सक्षम नहीं हैं। अत: मैं यह मांग करता हूं कि जितने भी लेबर लॉज़ हैं, उनमें संशोधन किया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न घटे। धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी (गुजरात) : सर, मैं इस विषय से स्वयं को एसोसिएट करती हूं।